दिनांक 23.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 489/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बाराबंकी/थाना मसौली

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 23.09.2026 को थाना मसौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त मो0अहमद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मसौली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मसौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0अहमद निवासी मो0पीरबटावन थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

जनपद शामली/थाना कैराना

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 14 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 23.09.2026 को थाना कैराना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार विभिन्न स्थानों से 03 अभियुक्तों 1—शाहरूख 2—असलम उर्फ भूरा 3—रवि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 14 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त असलम उर्फ भूरा के विरूद्ध जनपद शामली के थाना कैराना पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त रवि के विरूद्ध जनपद शामली के थाना कैराना पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कैराना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शाहरूख निवासी ग्राम राणा थाना सनोली जनपद पानीपत, हरियाणा।

2—असलम उर्फ भूरा निवासी मोहल्ला गुलशन नगर कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

3—रवि निवासी मोहल्ला गुलशन नगर कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी

1—चोरी की 14 मोटर साइकिल आदि।

जनपद अमेठी/थाना बाजारशुक्ल

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **16 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **04 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 23.09.2026 को थाना बाजारशुक्ल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पाली जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1—कौशल किशोर 2—छोटू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की कब्जे/निशादेही से 16 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बाजारशुक्ल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कौशल किशोर निवासी नवीपनाह थाना माल कमिश्नरेट लखनऊ।

2—छोटू निवासी नवीपनाह थाना माल कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1—16 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2—04 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद गाजीपुर/थाना जमानिया

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **14 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **05 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 23.09.2026 को थाना जमानिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पाण्डेपुर मोड़, पुलिया के बगल बने सिचाई विभाग के परित्यक्त कमरे से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्तों 1–पन्ना लाल 2–मनोज कुमार उर्फ चम्पी 3–सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की कब्जे/निशादेही से 14 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 05 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जमानिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पन्ना लाल निवासी ग्राम सोईलापुर भूतहिया ताड़ थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।
2–मनोज कुमार उर्फ चम्पी निवासी ताजपुर मांझा थाना जमानिया जनपद गाजीपुर।
3–सोनू निवासी ग्राम सकरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–14 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।
2–05 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।
3–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

➢ **जनपद बस्ती/थाना छावनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना छावनी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–शिवा को धारा 302/

307 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 2–योगेश उर्फ चिंगारी उर्फ लकी एवं 3–उत्कर्ष उर्फ मंटू उर्फ माइकल को धारा 302/307/506 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गाजीपुर/थाना नगसर हॉल्ट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गाजीपुर द्वारा थाना नगसर हॉल्ट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–लाल बहादुर 2–लालबिहारी 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चित्रकूट/थाना मऊ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1)/326जी बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त राजकुमार को आजीवन कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 23.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 490/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ तथा झाँसी इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 23.09.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ तथा झाँसी इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ इकाई द्वारा कुवंर पाल सिंह निवासी ग्राम शौलाना थाना धौलाना जनपद हापुड़ से शिकायतकर्ता की जमीन में दूसरे की जमीन का होना बताकर, जमीन को सही कराने के एवज में रिपोर्ट लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक कैलाशचन्द्र के नेतृत्व में हर्ष रैम्स आयुर्वेदा कैंसर क्लीनिक से **राजस्व निरीक्षक विजेन्द्र सिंह (तहसील धौलाना)** पुत्र स्व0 नारायण सिंह निवासी लज्जापुरी थाना कोतवाली हापुड़ जनपद हापुड़ को **50 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन झाँसी इकाई द्वारा अमर सिंह निवासी ग्राम सडकोरा, महरौनी जनपद ललितपुर से शिकायतकर्ता के मृतक भाई स्व0 मुहर सिंह के नाम कृषि भूमि का वरासत नामांतरण दर्ज कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक उदय राज निषाद के नेतृत्व में उ0प्र0 ग्रामीण बैंक के बगल वाली गली तहसील महरौनी ललितपुर से **राजस्व लेखपाल बाल किशन (क्षेत्र रूकवारा तहसील महरौनी ललितपुर)** पुत्र लखनलाल राजपूत निवासी पिसनारी बाग थाना कोतवाली जनपद ललितपुर को **04 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

————